

## Uttarakhand Minor Mineral (Sand, Gravel and Boulder) Picking Policy, 2016

This document is available at ielrc.org/content/e1630.pdf

**Note**: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

International Environmental Law Research Centre info@ielrc.org – www.ielrc.org

## उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग—1 संख्याः 1561/VII-1/80-ख/2016 देहरादून:दिनीक: 🖧 🛈 सितम्बर, 2016

## कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से सुनिश्चित करने, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण करने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, खनिजों से राजस्व में वृद्धि करने तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिष्टिचत करने हेतु राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की पूर्ति एवं मानव संसाधनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1033/VII-1/2015/146—ख/2010 दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर, ईंट आदि) नीति, 2015 का प्रख्यापन किया गया था। वर्तमान में उपखनिजों के बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान कार्य के सरलीकरण हेतु इस संबंध में विद्यमान नीति और आदेशों को अतिक्रमित करते हुए खनिज विकास एवं राजस्व हित में राज्यपाल निम्नवत् उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

## उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 संक्रिप्त नाम और 1 (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान

- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएं
- 2 जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो—.
  - (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
  - (ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
  - (ग) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है:
  - (घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है:
  - "निदेशक" से अभिप्रेत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, (ভ) उत्तराखण्ड से है;
- (च) "निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से है;
- (छ) ''स्थानीय अधिकारी'' से अभिप्रेत नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त है:
- (ज) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;
- (झ) पर्वतीय क्षेत्र : पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तराकाशी, इयमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

- (ट) मैदानी क्षेत्र :-- मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित है;
- "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु (J) नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू बजरी बोल्डर, का मानव शक्ति से निकासी :
- (ड) ''चुगान वर्ष'' का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि का है:
- (ड) ''शब्द'' और ''पद'' जो परिभाषित नहीं है, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है;
- खनिज की मात्रा 3 (क) उपखनिज क्षेत्रों में निक्षेपित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर की अधिकतम मात्रा वही मानी जायेगी, जो पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित की गयी है अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा आंगणित की गयी है। उपखनिज क्षेत्रों में निक्षेपित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर की आंगणित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि व अपरिहार्य भाटक धनराशि (Dead rent) का आंकलन संबंधित जनपद के निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
  - (ख) राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में सम्बन्धित निगम के द्वारा प्रत्येक वर्ष वर्षा काल के उपरान्त रेपिड सर्वे (Rapid Survey) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों के साथ करने के उपरान्त संबंधित चुगान क्षेत्र में निकासी योग्य उपखनिज की मात्रा घोषित करेगा। उक्त घोषित मात्रा को उक्त चुगान क्षेत्र को निविदा प्रणाली से राज्य के स्थानीय व्यक्ति/संस्थाओं को आवंटित किये जाने हेतु निविदित आधार मात्रा माना जायेगा।
  - (ग) निगमों द्वारा छोड़े गये लाटों को जनपद के निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को निविदा प्रणाली के माध्यम से आवंटन किये जाने हेतु ई०आई०ए० की मात्रा का 50 प्रतिशत आधार मात्रा (Tender Base Quantity) होगा।
  - (घ) नदी तल स्थित नाप भूमि चुगान क्षेत्रों में चुगान वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित की गयी उपखनिज की मात्रा अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा आंगणित की गयी मात्रा चुगान हेतु मान्य होगी।
  - (ड़) पर्वतीय क्षेत्रों हेतु रायल्टी दर तत्समय निर्धारित न्यूनतम रायल्टी दर का 50 प्रतिशत लागू होगा।
  - (च) नदी चुगान क्षेत्रों अथवा नदी क्षेत्र के इतर चुगान क्षेत्रों से उप खनिज की निकासी अधिकतम 1.5 मी० की गहराई या under ground water table जो भी न्यून हो, तक चुगान किया जायेगा।
  - निगमों एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा चुगान पट्टे हेतु आवेदन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशेधित) के नियम-6 में निर्धारित प्रारूप प्रपत्र एम0एम0—1 में तथा अल्प अवधि के अनुज्ञा हेतु आवेदन नियम—52 में निर्धारित प्रपत्र एम०एम०-८ में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में चार प्रतियों में आवश्यक संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

चुगान पट्टे /अनुज्ञा हेत् आवेदन

चुगान पट्टे/ 5 चुगान पट्टे हेतु आवेदन शुल्क ₹ 1,00,000 / – तथा अल्प अवधि के चुगान अनुज्ञा हेतु अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क ₹ 5000/—होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क लेखाशीर्षक—''0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग'' में सम्बन्धित जनपद के कोषागार में आवेदक द्वारा जमा कराया जाना होगा। **उपखनिज क्षेत्रों के 6** (क) नदी तल उपखनिज क्षेत्रों के गिन्हीकरण एवं स्थलीय संयुक्त निरीक्षण हेतु चिन्हीकरण निम्नानुसार जनपद स्तर पर समिति का गठन किया जाता है:--समिति 1- उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष ।

- 2- प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि
- सदस्य। 3— सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता
- 4-- भूवैज्ञानिक
- 5- खान अधिकारी

सदस्य।

- सदस्य।

- (ख) प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल के समाप्ति के उपरान्त 15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक - सदस्य सचिव। समस्त उपखनिज क्षेत्रों में निक्षेपित उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर की मात्रा का आंकलन/सत्यापन एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया
  - 1- उपजिलाधिकारी
  - अध्यक्ष। 2- भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी
  - सदस्य।

उक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी को 30 सितम्बर तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(ग) समिति द्वारा उपखनिज रेत, बजरी एवं बोल्डर के आंकलन के उपरान्त पट्टाधारकों के द्वारा निम्नवत सूचना भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :--

क. चुगान स्थल का सेटेलाईट फोटोग्राफ (Satellite Photograph)।

ख. जी०पी०एस० लोकेशन कोर्डिनेट्स।

ग. जमा आर0बी0एम0 का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिया गया

उक्तानुसार कार्यवाही में आने वाला व्यय संबंधित निगम एवं संबंधित निजी पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

उप खनिजों की 7 निकासी हेतु न्यूनतम निर्धारित शुल्क

उप खनिज क्षेत्रों में

खनिज

आंकलन / सत्यापन

की

के

उप

मात्रा

हेतू समिति

खनिजों की निकासी पर निगम एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा निम्नलिखित शुल्क समान रूप से देय होंगे :- उपखनिज की रायल्टी दर, स्टाम्प शुल्क, रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति। इस संबंध में शासन द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। निंगम/निजी व्यक्ति उक्त निर्धारित मदों के अतिरिक्त अन्य व्यय, जो निगम/निजी

व्यक्ति उचित समझे, व्यापार कर/आयकर के साथ जोड़ कर प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से निर्धारित किये जाने हेतु स्वतंत्र होंगे।

राजस्व भूमि/निजी भूमि के खनन पट्टा/अनुज्ञाधारक रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि जिला खनिज फाउण्डेशन में जमा की जायेगी। वन क्षेत्रों हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन प्राप्त अनुमति में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार जमा की जायेगी।

(क) राज्य के राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर के चुगान हेतु पट्टे गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल क्षेत्र में कुमाऊं मण्डल विकास निगम को तथा वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले नदी तल के उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के पट्टे उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के प्रावधानानुसार निर्धारित

निगमों हेतु राजस्व 8 नदी उपखनिज क्षेत्रों में चुगान की प्रक्रिया

प्रपत्र एम0एम0–1 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित आवेदन करने के उपरान्त तथा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति व अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त होने के उपरान्त पांच वर्ष की अवधि हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) निगमों द्वारा प्रत्येक वर्ष आवंटित राजस्व लाटों में Rapid survey के उपरान्त आंकलित उपखनिज की निकासी योग्य मात्रा के आधार पर निविदा की कार्यवाही की जायेगी। आधार मात्रा के ऊपर अधिकतम मात्रा की निविदा देने वाले निविदादाता को सफल निविदादाता घोषित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा में लगाई गई अधिकतम निविदा ई०आई०ए० में निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। यदि निविदा में दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा समान मात्रा की निविदा लगाई जाती है तो उस दशा में सफल निविदादाता का चयन संबंधित निविदादाताओं की उपस्थिति में लॉटरी प्रक्रिया से किया जायेगा।

निविदा (Tender) प्रक्रिया के माध्यम से निविदित मात्रा के चुगान का चयनित व्यक्ति/संस्था द्वारा वर्षा काल के उपरान्त चुगान सन्न 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक कराया जायेगा। निविदा हेतु राज्य के ऐसे उद्यमी/व्यक्ति/संस्था पात्र होंगे, जिनको पूर्व में खनन पट्टा/स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट/भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किया गया हो,

प्रतिबन्ध यह होगा कि भण्डारण अनुज्ञाधारक के पास कम से कम 5000 टन भण्डारण क्षमता के संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव तथा खनन पट्टाधारक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संचालन का 01 वर्ष का अनुभव हो।

- (ग) निगमों के द्वारा राजस्व चुगान क्षेत्रों को निविदा प्रक्रिया से आवंटन हेतु कार्यवाही 21 दिन की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर की जायेगी। प्रथम विज्ञप्ति के उपरान्त चुगान क्षेत्रों के आवंटन न होने पर दूसरी विज्ञप्ति एक सप्ताह के लिये प्रकाशित की जायेगी। दूसरी विज्ञप्ति के उपरान्त भी यदि चुगान क्षेत्र निविदा पर आवंटित नहीं हो पाता है, तो उस दशा में चुगान का कार्य स्वयं निगम के द्वारा किया जायेगा।
- (घ) चुगान वर्ष में निविदित मात्रा की निकासी हो जाने पर यदि सफल निविदादाता अथवा निगम द्वारा और अधिक मात्रा निकालने का अनुरोध करने पर जनपद स्तर पर गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी अधिकतम पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित मात्रा तक अवशेष खनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि सफल निविदादाता अथवा निगम से अग्रिम रूप से जमा कराने के उपरान्त अवशेष अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसकी सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी।
- (ड) निगमों के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं चुगान समाप्ति के समय का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

निगमों द्वारा छोड़े गये लाटों की गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा करायी जायेगी। तदोपरान्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा घोषित चुगान लाटों को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा निविदा (Tender) प्रक्रिया के माध्यम से जनपद के स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को चुगान वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक के लिये आवंटित किया जायेगा।

निगमों द्वारा छोड़े । गये राजस्व/वन नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में चुगान की प्रकिया

जिलाधिकारी के द्वारा चुगान क्षेत्रों को निविदा प्रक्रिया से आवंटन हेतु कार्यवाही 21 दिन की विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर की जायेगी। प्रथम विज्ञप्ति के उपरान्त चुगान क्षेत्रों के आवंटन न होने पर दूसरी विज्ञप्ति एक सप्ताह के लिये प्रकाशित की जायेगी। दूसरी विज्ञप्ति के उपरान्त भी यदि चुगान क्षेत्र टेण्डर पर आवंटित नहीं हो पाता है, तो उस दशा में संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा उक्त चुगान क्षेत्र में निक्षेपित उपखनिज की मात्रा का पुनः आंकलन कराये जाने हेतु निदेशक, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई को कारण सहित सूचित करेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्त चुगान क्षेत्र के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराते हुये उक्त चुगान क्षेत्र में निक्षेपित उपखनिज का पुनः आंकलन कराते हुये सम्बन्धित जिलाधिकारी को पुनः निविदा के माध्यम से आवंटन हेतु सूचित करेगा।

चुगान वर्ष में निविदा में निर्धारित उपखनिज की मात्रा की निकासी के उपरान्त उक्त क्षेत्र में पट्टाधारक द्वारा अतिरिक्त जमा उपखनिज के चुगान हेतु अनुरोध करने पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर अवशेष आंगणित उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि पट्टाधारक से अग्रिम रूप से जमा कराने के उपरान्त अवशेष अवधि हेतु अनुमति संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा प्रदान की जायेगी, जिसकी सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी।

उक्त लाटों हेतु 01 चुगान वर्ष हेतु ई०आई०ए० अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्धारित उपखनिज की मात्रा ही निकासी की अधिकतम मात्रा के रूप में मान्य होगी।

सफल निविदादाता द्वारा स्वीकृत चुगान क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं उक्त चुगान वर्ष में चुगान समाप्ति के समय का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा। उक्तानुसार कार्यवाही में आने वाला व्यय संबंधित सफल निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

नदी तल से संबंधित निजी नाप भूमि में चुगान के पट्टे स्थानीय व्यक्तियों को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार बिना विज्ञप्तिकरण के ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त चुगान वर्ष की अवधि (01 अक्टूबर से 30 जून तक) हेतु जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक, जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो तो उसे चुगान पट्टा दिया जायेगा। संबंधित चुगान लाट से निकासी हेतु अधिकतम मात्रा वही मान्य होगी, जो पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित की गयी हो अथवा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों के द्वारा आंगणित की गयी हो। निकासी हेतु निर्धारित मात्रा पर देय रायल्टी की धनराशि का आंकलन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। पट्टाधारक के द्वारा चुगान वर्ष हेतु निर्धारित रायल्टी धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किश्तों में किया जायेगा।

निजी भूमि के पट्टों के संबंध में यदि भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की हैं, तो उक्त भूमि के पट्टे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही आवंटित किये जायेंगे।

पट्टाधारक के द्वारा स्वीकृत चुगान क्षेत्र में चुगान कार्य करने से पूर्व एवं उक्त चुगान वर्ष में चुगान समाप्ति के समय का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिये गये फोटोग्राफ की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

निजी व्यक्तियों को 10 नदी तल स्थित नाप भूमि में चुगान की प्रक्रिया

6--

इस नीति के प्रख्यापन के पूर्व से स्वीकृत पट्टाधारकों के द्वारा प्रत्येक चुगान वर्ष के प्रारम्भ एवं समाप्ति में स्वीकृत चुगान पट्टा के संबंध में निम्नवत सूचना भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा :--

क. चुगान स्थल का सेटेलाईट फोटोग्राफ (Satellite Photograph)।

ख. जी०पी०एस० लोकेशन कोर्डिनेट्स।

ग. जमा आर०बी०एम० का आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन से लिया गया फोटोग्राफ।

पूर्व से स्वीकृत पट्टाधारकों के द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर निदेशक. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा ई–रवन्ना निर्गत नहीं किया जायेगा।

इस नीति के प्रख्यापन से पूर्व निजी नाप भूमि में विभिन्न अवधियों हेतु स्वीकृत चुगान पट्टों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण स्वीकृत अवधि तक जिलाधिकारी की संस्तुति पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

की 11 निगमों एवं निजी नाप भूमि में बालू बजरी एवं बोल्डर के चुगान पट्टों की अवधि

(क) निगमों के लिए चुगान पट्टे की अवधि :- 05 वर्ष

(ख) निगमों एवं निगमों द्वारा छोड़े गये लाटों पर निविदा के आधार पर लाट पर चुगान की अवधि :—01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक।

(ग) निजी नाप भूमि में चुगान की अवधि :-- 01 वर्ष।

परन्तु पूर्व से स्वीकृत निजी नाप भूमि के पट्टे स्वीकृत अवधि तक चलते रहेंगे।

चुगान अनुज्ञा की 12 उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम—51 के प्रावधानानुसार चुगान अनुज्ञा की अधिकतम अवधि 06 माह तक होगी।

उपखनिज पर देय 13 प्रत्येक चुगान क्षेत्र से निकासी किये गये उपखनिज पर रायल्टी का आंगणन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–21 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित उपखनिज की रायल्टी दर के अनुसार किया जायेगा।

उपखनिज क्षेत्र का 14 चुगान पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र का वार्षिक अपरिहार्य भाटक (Dead rent) का आंगणन चुगान क्षेत्रों हेतु Rapid Survey द्वारा आगणित मात्रा का 50 प्रतिशत मात्रा पर देय रायल्टी की भाटक/पट्टा धनराशि वार्षिक अपरिहार्य भाटक / पट्टा धनराशि के रूप में आगणित की जायेगी, जिसे धनराशि का निगम एवं निजी पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना अनिवार्य निर्घारण

आगामी वर्षों में अपरिहार्य भाटक / पट्टा धनराशि के आंकलन में वार्षिक वृद्धि नहीं की जायेगी जब तक नियमानुसार उपखनिजों की रायल्टी पुनर्निधारित नहीं होती है।

पट्टा धनराशि/ 15 पट्टाधारक के द्वारा पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि का भुगतान निर्धारित अपरिहार्य माटक की लेखाशीर्षक में पट्टाविलेख में निर्धारित मासिक किश्तों में निर्धारित समयान्तर्गत किया धनराशि का भुगतान जायेगा। की प्रक्रिया

प्रतिबन्ध यह होगा कि निकासी की रायल्टी या पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि, जो भी अधिक हो, देय होगा।

धनराशि/ 16 पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/अपरिहार्य भाटक या रायल्टी की धनराशि का भुगतान अपरिहार्य भाटक की समयान्तर्गत न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 धनराशि का भुगतान (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-58 के अनुसार बकाया धनराशि पर 24 न किये जाने का प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा। परिणाम

चुगान पट्टे अवधि

पटा

चुगान पट्टा पद्टाविलेख/ एम०ओ०यू०/ निविदा का एमञ्जो०यू०

चुगान पट्टे का समर्पण

चुगान पहे का

हस्तान्तरण

सार्वजनिक

नदी पर

आदि से

दूरी

पुल, नदी के किनारे

निर्मित

सरक्षित

- एम०ओ०यू० किया जायेगा तथा निगम द्वारा छोड़े गये लाट हेतु घोषित सफल निविदाकार द्वारा जिलाधिकारी के साथ पट्टा विलेख किया जायेगा। 18 कोई पट्टेदार चुगान पट्टे के समर्पण हेतु राज्य सरकार को कम से कम 02 माह की लिखित नोटिस देने के पश्चात ही चुगान पट्टा समाप्त करेगा। संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा पहेदार द्वारा प्रस्तुत चुगान पहे के समर्पण हेतु नोटिस के क्रम में चुगान लाट का सत्यापन उपजिलाधिकारी की गठित समिति से कराने के उपरान्त समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित किया जायेगा तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त पट्टे का समर्पण शासन द्वारा स्वीकार
- 19 निजी चुगान पट्टाधारक की मृत्यु की दशा में स्वीकृत चुगान पट्टा उनके विधिक वारिस को पहें की अवशेष अवधि हेतुँ हस्तान्तरित होगा। पट्टाधारक की मृत्यु की तिथि से विधिक वारिस घोषित होने के उपरान्त राजस्व विभाग द्वारा विधिक वारिस के सत्यापन संबंधी आख्या उपलब्ध कराने तक चुगान क्षेत्र में कार्य स्थगन रहेगा। विधिक वारिस के सत्यापन आख्या उपलब्ध होने के 01 माह के अन्दर चुगान पट्टे के हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

स्थल, 20 (1) राज्य के वन नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़कर तथा वन नदी तलों से भिन्न राजस्व नदी क्षेत्रों में नदी की कुल चौड़ाई का दोनों किनारों से 15-15 प्रतिशत भाग छोड़कर उपखनिज का चुगान कार्य किया जायेगा।

(2) इसके अतिरिक्त पूल, शमशान, सार्वजनिक स्थल आदि से अपस्ट्रीम साईड में 100 मी० तथा डाउन रट्रीम में भी 100 मी० की क्षेत्र को प्रतिबन्धित करते हुये उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जायेगा।

पटा / 21 (1) निगम के चुगान क्षेत्रों में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान के लिये ई०आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी किया जायेगा।

(2) निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर एवं पत्थर के चुगान पटा/चुगान अनुज्ञा हेतु ई0आई०ए० नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) शासन के द्वारा जारी

चुगान पट्टा क्षेत्रों से निकासी किये गये उपखनिज की मात्रा का आंगणन आयतन (Volume) में न करके भार (Weight) के अनुसार किया जायेगा।

(2) राज्य के समस्त नदी तल उपखनिज क्षेत्रों से उपखनिज का चुगान का कार्य निदेशक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 34 के अनुसार अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। इस हेतु आवेदन शुल्क ₹ 50,000/- देय होगा।

चुगान अनुज्ञा पर्यावरणीय अनुमति हेतु आशय पत्र (Letter of Intent)

चुगान प्रशासन का 22 (1) सफल संचालन

एम०एम०–3 में निर्धारित स्टाम्प पर कराया जाना होगा।

ही उपखनिज का चुगान प्रारम्भ करेंगे।

का 17 निजी भूमि पट्टाधारकों के द्वारा स्वीकृत चुगान पट्टा विलेख का निष्पादन उत्तराखण्ड

उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-14 के अन्तर्गत निर्धारित प्राक्तप

निगम चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से समस्त

औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रगत्र पर एम0ओ0यू० हस्ताक्षर करने के उपरान्त

निगम क्षेत्र हेतु निविदा में घोषित सफल निविदाकार द्वारा प्रबन्ध निदेशक के साथ

- (3) प्रत्येक पट्टाधारक के द्वारा चुगान पट्टा क्षेत्र के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूट्राईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला कार्यालय व जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। सी0डी के परीक्षणोपरान्त रिपोर्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा शासन को प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) चुगान पट्टा क्षेत्रों से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पंजीकृत वाहन की सूचना पट्टाधारक के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी।
- (5) पट्टाधारक के द्वारा पट्टा क्षेत्र से निकासी किये गये खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जनपद स्तरीय कार्यालयों में प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। समयन्तर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर पट्टाधारक पर प्रत्येक माह ₹ 2000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टााधारक / अनुज्ञापत्र धारक को चुगान कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाणिज्य कर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 23 (1) जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा जलाशय/सुरंग (Tunnel) आदि के निर्माण कार्य से निकलने वाले Muck (उपखनिज पत्थर/बोल्डर/बालू आदि) को परियोजना के निर्माण कार्य में उपयोग हेतु परियोजना के निर्माण आगणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा खनन पट्टा जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–68 के अन्तर्गत नियम–72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार चुगान पट्टा परियोजना की समाप्ति अवधि अथवा याचित अवधि तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
  - (2) सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगंणन (Estimate) की जांच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति से कराते हुए उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अन्तर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुए नियमानुसार अनुज्ञा पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। यह प्रक्रिया राज्य के जलाशयों एवं नहरों में जमा उपखनिज की सफाई/निकासी के लिए भी अपनायी जायेगी। सरकारी विभागों के प्रबन्धन वाले जलाशयों में संबंधित विभाग की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर संबंधित ग्राम पंचायत को जिलाधिकारी द्वारा अल्प अवधि (अधिकतम 06 माह) के लिए अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।
- (3) भवनों के बेसमेन्ट से मिट्टी की खुदाई व निजी नाप भूमि में मिट्टी का समतलीकरण, व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई हेतु विकास हित में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर अल्प अवधि का अनुज्ञा सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के अध्याय–6

विविध

9--

के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा। भवनों के बेसमेंट से मिट्टी का खुदान व भूमि समतलीकरण का कार्य हेतु जे0सी0बी0 का उपयोग किया जा सकेगा। समतलीकरण हेतु विशेष परिस्थितयों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा उल्लिखित करने पर ही मिटटी के अन्यत्र स्थान पर परिवहन हेतु ई—रवन्ना/प्रपत्र एम0एम0—11 निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

- (4) नदी तल से लगे निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के समतलीकरण व मत्स्य पालन हेतु तालाब, जिससे बालू, बजरी, बोल्डर, मिट्टी खनिज निकलने की सम्भावना हो, जिसे आवेदक द्वारा निकासी के उपरान्त उक्त स्थल पर ही रखने की मंशा हो, के अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी, किन्तु उक्त कार्य के दौरान निकाले गये उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के विक्रय/अन्यत्र प्रेषण किये जाने की स्थिति में इसकी अनुज्ञा उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति की निरीक्षण आख्या पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
- (5) वर्षाकाल के दौरान निजी नाप भूमि में गधेरों से मलवा/पत्थर जमा होने की दशा में सम्बन्धित भूमिधर के द्वारा जमा मलवे/पत्थर को हटाने हेतु आवेदन करने पर संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या के आधार पर अधिकतम 03 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
- (6) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी०जी०वी०आर (ग्रेफ), बी०आर०ओ०, आई०टी०बी०पी० के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य हेतु रिक्त राजस्व नदी उपखनिज क्षेत्रों में चुगान पट्टा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एम०एम०–1 में आवेदन शुल्क सहित आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने पर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर पर्यावरणीय अनुमति हेतु चुगान पट्टा का आशय पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी द्वारा परियोजना की समाप्ति तक अथवा 05 वर्ष की अवधि जो भी कम तक के लिये चुगान पट्टा की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि वे चुगान लाटो से निकले उपखनिजों का व्यसायिक उपयोग नहीं करेंगे।
- (7) राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी राय हो तो विकास एवं राष्ट्र हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसा करना आवश्यक है, पूर्व में निगमों/निजी व्यक्तियों/ संस्थाओं को स्वीकृत राजस्व चुगान लाटों को उनसे वापस लेते हुये राष्ट्रीय राज्य मार्गों/ जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की समाप्ति तक अथवा 05 वर्ष की अवधि, जो भी कम तक के लिये चुगान पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी०जी०वी०आर (ग्रेफ), बी०आर०ओ०, एन०टी०पी०सी०, एन०एच०पी०सी० एवं यू०जे०वी०एन०एल० आदि को दे सकती है।
- (8) नदी तल से निकासी किये गये आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन/निर्यात पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, परन्तु क्रशड सामग्री (Crushed material) का परिवहन/निर्यात राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं एवं विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति के उपरान्त आर०बी०एम० (बालू, बजरी एवं बोल्डर) का राज्य से बाहर परिवहन/निर्यात की अनुमति होगी।

- (9) उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश की सीम के 02 किमी० की परिधि में उपखनिजों के भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्मे इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा शिथिलता प्रदान करते हुए अनुमति प्रदान की जायेगी। 24 (1)
  - राज्य के प्रत्येक जनपद, जो खनन संक्रियाओं से प्रभावित है, के लिये राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से एक लाभरहित ट्रस्ट की स्थापना करेगी, जिसे जिला खनिज फाउन्डेशन कहा जायेगा।
  - (2) जिला खनिज फाउन्डेशन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हितों के लिये कार्य करना होगा जो खनन संक्रियाओं से प्रभावित हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
  - (3) जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु धनराशि, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, पट्टाधारकों द्वारा देय होगा।

नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

अपजा से लेश बगौली) सचिव

नीति का स्पष्टीकरण 25

(Clarification)

जिला खनिज

Foundation)

(District Mineral

फाउन्डेशन